

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3395]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2018/भाद 7, 1940

No. 3395]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2018/BHADRA 7, 1940

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

का.आ. 4203(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 481 और 491 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

#### तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
481	727बी	फाजिलनगर के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर तमकुही, सलेमपुर, ईशारोउ, भागलपुर, उभांव, सिकंदरपुर, बहेरी, सुखपुरा, हनुमानगंज को जोड़ते हुए और उत्तर प्रदेश राज्य में बलिया के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

5064GI/2018 (1)

491	731के	उत्तर प्रदेश राज्य में शाहजहांपुर के निकट रारा-731 के साथ प्रारंभ होकर बिसालपुर, बारखेड़ा,
		पीलीभीत, नेवरिया हुसैनपुर को जोड़ते हुए उत्तराखंड राज्य में मझोला, चंदा, मुंदेली को जोड़ते
		हुए और खटीमा के निकट रारा-9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/18/2015-पी एंड एम](पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एस. आर. ओ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 3251(अ), दिनांकित 5 जुलाई, 2018 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2018

**S.O. 4203(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 481 & 491 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

#### **TABLE**

Serial No.	New	Description of National Highways
	National Highway	
	No.	
(1)	(2)	(3)
481	727B	The highway starting from its junction with NH- 27 near Fazilnagar
		Connecting Tamkuhi, Salempur, Esharou, Bhagalpur, Ubhaon, Sikandrapur, Baheri,
		Sukhpura, Hanumanganj and terminating at its junction with NH-31 near Ballia in the
		state of Uttar Pradesh.
491	731K	The highway starting from NH-731 near Shahjahanpur connecting Bisalpur,Barkheda,
		Pilibhit, Neoria Husainpur in the state of Uttar Pradesh connecting Majhola, Chanda,
		Mundeli and terminating at its junction with NH-9 near Khatima in the state of
		Uttarakhand.

[F. No. NH-14012/18/2015-P&M(Pt.)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote:-** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification no. S.O. 3251(E) dated 5<sup>th</sup> July, 2018.

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 29 अगस्त. 2018

का.आ. 4204(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है

उक्त राजमार्गों, जिन्हें इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

#### तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
537	334डीडी	उत्तर प्रदेश राज्य में हमीदपुर के निकट रारा-334डी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जेवर,
		झाझर, काकोद, धनौरा को जोड़ते हुए और बुलंदशहर के निकट रारा-34 के साथ अपने जंक्शन पर
		समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
538	727एए	बिहार राज्य में मनुपुल के निकट रारा-727 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पटजीवा, पकनाहा
		को जोड़ते हुए पिपराघाट और उत्तर प्रदेश राज्य में सेवराही के निकट रारा-730 के साथ अपने जंक्शन
		पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
539	731बी	उत्तर प्रदेश राज्य में मछलीशहर के निकट रारा-31 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जंघई,
		दुर्गागंज, भदोही, कपसेठी को जोड़ते हुए और वाराणसी के निकट लहरतारा-मोहनसराय रोड
		(ओडीआर) के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा. सं. एनएच-14012/18/2015-पी एंड एम](पार्ट)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एस. आर. ओ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 3255(अ), दिनांकित 5 जुलाई, 2018 द्वारा किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th August, 2018

**S.O. 4204(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

### **TABLE**

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
537	334DD	The highway starting from its junction with NH-334D near Hamidpur and connecting Jewar, Jhajhar, Kakod, Dhanaura and terminating at its junction with NH-34 near Bulandshahar in the state of Uttar Pradesh.

538	727AA	The highway starting from its junction with NH-727 near Manuapul connecting Patzirwa, Paknaha in the state of Bihar, Pipraghat and terminating at its junction with NH-730 near Sevrahi in the state of Uttar Pradesh.
539	731B	The highway starting from its junction with NH-31 near Machhlishahar connecting Janghai, Durgaganj, Bhadohi, Kapsethi and terminating at its junction with Lahartara- Mohansaray road (ODR) near Varanasi in the state of Uttar Pradesh.

[F. No. NH-14012/18/2015-P&M(Pt.)] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

**Footnote :** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 3255 (E), dated 5<sup>th</sup> July, 2018.